(५)

## न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय मसूदा जिला अजमेर राजस्थान
## पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
## राजस्व वि0प्रा0प0 संख्या 37 सन् 2014

श्री त्रिलोकचन्द पुत्र स्व श्री हगामी लाल जी आयु 73 साल जाति लौहार निवासी सूरजपोल गेट के अंदर, ग्राम मसूदा जिला अजमेर राजस्थान

......प्रार्थी

**बनाम**

1. भैरू वयस्क पुत्र श्री कालू जी (डिलीट)
2. ओमप्रकाश वयस्क पुत्र स्व राजू जी (डिलीट)
3. महावीर वयस्क पुत्र स्व राजू (डिलीट)
4. सीता वयस्क पुत्री स्व राजू (डिलीट)
5. गीता वयस्क पुत्री स्व राजू (डिलीट)
   समस्त जाति कुम्हार निवासियान कुम्हार मौहल्ला ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर
   (प्रफोर्मा पार्टी अप्रार्थीगण)
6. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मसूदा (राज)
7. काना वयस्क पुत्र लादू जाति कुम्हार निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज)
8. सवाई वयस्क पुत्र गिरधारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज) अब मृतक बजरिये उसके वारिसानः–

8/1 प्रभूलाल पुत्र स्व सवाई
8/2 देवी लाल पुत्र स्व सवाई
8/3हीरालाल पुत्र स्व सवाई
समस्त जाति कुम्हार निवासियान ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल निवासी सुभाषनगर गढीवाल चक्की के पास अजमेर जिला अजमेर (राज)

........अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी**

**ओदश**

दिनांक 11.02.2017

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम मसूदा प्रथम जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 329 रक्बा 1–19–00 बीघा प्रार्थी के चाचा स्व रामचन्द वल्द भूरा की खातेदारी में चली आ रही है। प्रार्थी के दादा भूरा जी के दो पुत्र स्व श्री हगामी लाल जो प्रार्थी के पिता थे तथा स्व रामचन्द जो पति पत्नि दोनों नाऔलादफोत हो गये है इसलिए प्रार्थी ही उनका एक मात्र वारिस काबिज सम्पत्ति चला आता है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पूर्व में अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0 न0 327 है जिसके लगायत सरकारी भूमि ख0 न0 323/2 स्थित है जो मसूदा खरवा रोड से लगते हूए है। ख0 न0 327 व 323/2 की आराजी से होकर एक पगडंडी के माध्यम से प्रार्थी अपनी आराजी 329 पर पर आता जाता रहा है लेकिन अप्रार्थीगण 1 से 5 इस पगडंडी पर आने जाने से मना कर दिया है इनसे रास्ता मिलना असंम्भव

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

(5)

है इसलिए प्रार्थी की भूमि से लगायत अप्रार्थी संख्या 7 की भूमि ख0 न0 320 व अप्रार्थी संख्या 8 की भूमि ख0 न0 321 व 322 से प्रार्थी को 15 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब करने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 5 विरूद्व कार्यवाही ड्रोप करने का आवेदन किया जो स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 को अप्रार्थी पक्षकार 01 R10 पर नियुक्त किया गया। अप्रार्थी 7 के विरूद्व उसके बावजूद तामीली अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 8 के LR 8/1 से 8/3 ने जवाब में प्रार्थना पत्र कथनों से इन्कारी करते हूए निवेदन किया है कि पूर्व में ख0 न0 326, 327, 328, व 329 एक ही व्यक्ति की खातेदारी की भूमियां थी और वह ख0 न0 327 एवं 323/2 से होकर आता जाता रहा है तथा प्रार्थी भी उन्ही से होकर आता जाता रहा है लेकिन प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 8 को हेरान एवं परेशान करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र लाया है अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

मैंने प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। ख0 न0 329 स्व रामचन्द वल्द भूरा की खातेदारी में दर्ज है। ख0 न0 320 अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी में दर्ज है जिसके विरूद्व एकतरफा की जा चुकी है तथा ख0 न0 321 व 322 अप्रार्थी संख्या 8 सवाई वल्द गिरधारी की खातेदारी में दर्ज हैं। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत 329 पर मुख्य सड़क से ख0 न0 320, 321, व 322 खातेदारी एवं 323 सरकारी से होकर आते है। मुख्य सडक से लगायत भूमियां की DLC दर रु 70,400/– प्रतिबीघा है। रास्ते हेतु ख0 न0 320 में से 2952 वर्ग फिट 321 में से 3542 वर्ग फिट तथा ख0 न0 322 में से 1968 व फिट कुल 8462 वर्गफिट भूमि ली जानी हैं। नक्शे ट्रेस में मार्ग चिन्हित किया हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी के लिए नजदीकी एवं सरलतम मार्ग तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित ही कायम किया जाना न्यायोचित एवं उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी को खातेदारी का खसरा न0 320, 321, व 322 भूमियों एवं सरकारी न0 323 से 15 फिट चौडा मार्ग दिया जाना स्वीकृत किया जाता है और ख0 न0 320 की 2952 वर्गफिट व 321 की 3542 वर्गफिट तथा 322 की 1968 वर्गफिट कुल 8462 वर्गफिट की कुल राशि रु 34189,00 कीमत पर प्रार्थी को मार्ग दिए जाने के आदेश पारित किये जाते है प्रार्थी द्वारा डिमांड राशि खजाने सरकार जमा कराने पर राजस्व रेकार्ड में अमल व नक्शा लकंलॉट में तहसीलदार मसूदा द्वारा प्रस्तावित मार्ग को नक्शे में तरमीम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2017 को सरे इजलास राष्ट्रिय लोक अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 16:54:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: